13-8-19 वसीत प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को दी गई सूचना के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 सी.आर.पी.सी. का अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहता है इसलिये प्रार्थी उपरोक्त अनुतोष का प्रार्थना पत्र मोहरा सूरत में निरस्त कर नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थना पत्र सत्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नई पत्रावली इसी स्तर पर शामिल की जाती है व अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली शीघ्र ही पास शामिल करें।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
टिब्बी